(V)

पटना विश्वविद्यालय

कार्यालय आदेश

विदित है कि कर्मचारियों के वेतन सत्यापन पर्ची राज्य सरकार द्वारा निर्गत किये जाने संबंधी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाना है। इस दिशा में प्रत्येक कर्मचारी की अलग–अलग संचिका में उनकी सेवा संबंधी सभी कागजात संलग्न करनी है। प्रत्येक कर्मचारी का अलग – अलग व्यक्तिगत कागजात निकालने में कुछ व्यावहारिक कठिनाई आ रही है तथा अत्याधिक समय भी लग रहा है। अपूर्ण कागजात के कारण वेतन सत्यापन पर्ची निर्गत नहीं हो पा रही है।

ऐसी स्थिति में सभी इकाई एवं सभी वर्ग के कर्मचारी इस कार्यालय आदेश के साथ संलंग्न प्रपत्र में मांगी सूचना निम्नलिखित कागजातों की प्रतियों के साथ तीन सेट में दिनांक 28.02.2021 तक निश्चित रूप से स्थापना शाखा, पटना विश्वविद्यालय में जमा कर दें।

इन कागजातों का एक सेट कार्यालयिक सत्यापन के उपरांत राज्य सरकार को भेजा जायेगा, दूसरा सेट संबंधित कर्मचारी की मूल संचिका में रखा जायेगा तथा तीसरा सेट कर्मचारी खुद रखेंगें जिसपर स्थापना शाखा द्वारा प्राप्ति दी जायेगी। जिन कर्मचारी के पास सेवा संबंधी यदि कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, तो वे संबंधित शाखा से इसे प्राप्त कर अपने पास रेकार्ड में अवश्य रख लें ताकि भविष्य में उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रपत्र को ऑन लाईन प्रकिया द्वारा भी भरा जा सकता है जिसका लिंक इकाई के कार्यालिक ईमेल पर भेजा जा रहा है।

1. नियुक्ति पत्र / योगदान प्रतिवेदन
2. सेवा संपुष्टि
3. वेतन निर्धारण
4. पूर्व में निर्गत वेतन सत्यापन पर्ची, यदि हो
5. प्रोन्नति संबंधी कार्यालय आदेश
6. शैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात

कुलपति के आदेश से

23/2/2

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

pay verfication office order

(7)

ज्ञाप सं. स्थापना/– 286 दिनांक 24/2/2021

प्रतिलिपि 1. सभी संकायों के अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, 2. सभी विभागों के अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, 3. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय, 4. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय, 5. सभी छात्रावासों के अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय 6. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, 7. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, 8. पुस्तकाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, 9. विश्वविद्यालय अभियंता, पटना विश्वविद्यालय, 10.. प्रेस अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय 11. प्रभारी, पटना विश्वविद्यालय कम्प्यूटर सेंटर (वेवसाईट पर अपलोड हेतु), 12. सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, 13. कुलपति के सचिव, पटना विश्वविद्यालय एवं 14. प्रतिकुलपति के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय को सूचना एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच वितरण हेतु प्रेषित।

23/2/21

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

16

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन सत्यापन हेतु आवेदन–पत्र

1. नाम : –
2. पदनाम–
3. पिता / पति का नाम–
4. भविष्य निधि लेखा संख्या / प्राण संख्या–
5. जन्म तिथि–
6. सेवानिवृत की तिथि (यदि हो)–
7. स्वीकृत पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम–
8. वेतन निकासी हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदनाम एवं पत्राचार का पता–

9. मोबाईल नं0–
10. ई मेल–
11. विश्वविद्यालय का नाम–
12. महाविद्यालय का नाम–
13. विभाग का नाम (यदि लागू हो)–
14. वर्त्तमान पदस्थापन स्थल का पता–
15. बैंक का नाम (वेतन खाता संख्या सहित / IFSC कोड)

16. नियुक्ति / प्रोन्नति में यदि कोई न्यायादेश है तो उसकी प्रति
17. मैं...पदनाम...
घोषित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है।

कर्मचारी का नाम :–

कर्मचारी का हस्ताक्षरः–

तिथिः–

(5

चेक लिस्ट

1. नियुक्ति पत्र / योगदान प्रतिवेदन ☐
2. सेवा संपुष्टि ☐
3. वेतन निर्धारण ☐
4. पूर्व में निर्गत वेतन सत्यापन पर्ची, यदि हो ☐
5. प्रोन्नति संबंधी कार्यालय आदेश ☐
6. शैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात ☐

22/01/21

कर्मचारी का हस्ताक्षरः–

तिथिः–